

नकल चादा प्रति जोदेश SDO F दि 1/11/10

स्थापना उपजिलाधिकारी/अतिरिक्त तहसील- फतेहपुर, बाराबंकी।
आदेश संख्या 2 /2010

ग्राम- उमरतंडा, परगना -
कुर्ता, तहसील- फतेहपुर
जिला - बाराबंकी।


राशि का नाम उग्रो लकार
घाटा 143 पत्तोदारो स्व भूमि 240अधि
आदेश
=====

प्रसन्नगत वाद में वादी ने गाटा संख्या 1125/0-240हे0 व गाटा संख्या 1139/
0.575हे0 कुल दो किता 0.815हे0 मांगु0 38.50पैता जो उसके नाम सं 1417-1422
फ0 को खाती के बाता संख्या 397पर स्थानीय भूमिधर दर्ज है। पर कृषि कार्य से अन्य
कार्य हेतु अर्थात् औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का शक्यता के साथ उक्तोप
किया गया है, वादी के अधिकता द्वारा बहत में कहा गया कि जित 10 वर्षों से उक्त
भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि को औद्योगिक/वाणिज्यिक घोषित कर
लेना चाहता हूं। पत्रावली का अन्वयन किया गया। नकल खाती में वादी का
नाम उक्त गाटा संख्या पर दर्ज है।

उक्त प्रार्थना-पत्र को जांच तहसीलदार फतेहपुर से करायी गयी। तहसीलदार
फतेहपुर द्वारा उक्त क्षेत्र/गाटे को औद्योगिक घोषित किये जाने की आख्या नियत
प्रारम्भ पर, मय आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है। तहसीलदार फतेहपुर द्वारा
अपनी आख्या में कोई प्रतिकूल आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसलिये गैर कृषि,
औद्योगिक घोषित किये जाने में कोई किरिये अड्यन नहीं है।

आतः मैं राम चन्द्र तरोज उपजिलाधिकारी /अतिरिक्त फतेहपुर, बाराबंकी
ग्राम उमरतंडा की गाटा संख्या 1139 व 1125 को वादी के प्रार्थना-पत्र स्व शक्यता
तथा खाती को तंजान में लेते हुए औद्योगिक क्षेत्र घोषित करता हूं। आदेश को प्रति
उपनिबंधक फतेहपुर व तहसीलदार फतेहपुर को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही
पत्रावली संघित अभिलेखागार हो।

दिनांक 01/11-2010


। रामचन्द्र तरोज ।
उपजिलाधिकारी/अतिरिक्त फतेहपुर
बाराबंकी ।
01-11-10



2=7100/B
03/11/10

उक्त मुकदमे परन्वयन नकल 2/11/10
तारीख देवारी 03/11/10
शदाय को की 2=7100/B
शदाय को (176) शिखर लाला
नकल नकल को की 176

घाटा प्रति जम्मा कादेश 500 दिनांक 26.06.23



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : फतेहपुर
 वाद संख्या :- 4768/2022
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202241248034768
 माया आनन्द आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
 अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वाद संख्या 153 (वर्ष 2023)

अन्तर्गत धारा 80(2) उपरो राजस्व संहिता, 2006 नियमावली-2018
 ग्राम- अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला-बाराबंकी।
 उत्तर प्रदेश सरकार

माया आनन्द आदि

बनाम
 निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा-80 उपरो राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र रामलखन निवासी 4/1068 बी विकासनगर लखनऊ व प्रबन्धक श्रीमती माया आनन्द चर्च मायावती देवी पत्नी बी0एल0 गुप्ता निवासी 8/340 विकासनगर लखनऊ द्वारा संचालित ट्रस्ट अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोशल फाउन्डेशन सक्षिप्त में एम्स फाउन्डेशन पंजीकृत कार्यालय 8/340 विकासनगर जनपद लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आनलाइन आवेदन पत्र पर तहसीलदार फतेहपुर द्वारा नियत प्रारूप पर प्रेषित आख्या दिनांक 26.06.2023 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खाता संख्या 00072 की गाटा संख्या 1123/0.759हे0 स्थित ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी वादी के नाम बतौर संकनणीय भूमि, दर्ज सरकारी कगजात है। वादी द्वारा यह अदगत कराया गया है कि उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण उक्त भूमि को वैर कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रेषित जाँच आख्या दिनांक 26-06-2023 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वादी के नाम खतीनी फ0 दर्ब 1429-1434 की खाता संख्या 00072 की गाटा संख्या 1123/0.759हे0 को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उदघोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है-

1-धारा-80 (2)उपरोरासो 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है-

राजस्व ग्राम का नाम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर।

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम पिता का नाम व स्थान	खतीनी खाता संख्या	खाते का क्षेत्रफल हे0 में	भालपु जारी कर में	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे0 में	क्षिप्त कर कृषि प्रयोजन के लिए खाता व उसका दर्ब नाम	क्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर	अर्धराज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी में 4/1068 बी विकासनगर लखनऊ द्वारा संचालित ट्रस्ट अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोशल फाउन्डेशन सक्षिप्त में एम्स फाउन्डेशन पंजीकृत कार्यालय 8/340 विकासनगर जनपद लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आनलाइन आवेदन पत्र पर तहसीलदार फतेहपुर द्वारा नियत प्रारूप पर प्रेषित आख्या दिनांक 26.06.2023 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।	00072	0.759	18.75	1123	0.759	0.759	खतान संख्या FQ 14 दिनांक 28.08.2023 उदघोषणा शुल्क कर 54700-00 व ई-स्टाम्प संख्या RD 0002013118 दिनांक 26.06.2023 न्यायशुल्क कर 54700.00

Sachin

CANCELLED

CANCELLED

3 = 7000
 01-07-23

R-B' घाटा प्रति
 H.B'

पृष्ठ संख्या :

- 2-वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।
- 3-वादीजन द्वारा आवेदित रकबा 0.759हेठो अकृषिक प्रयोजन में उपयोग किया जा रहा है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।
- 4-उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 की धारा-85 (2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू0 54700-00 चालान संख्या FQ 14 दिनांक 26.06.2023 व न्याय शुल्क के रूप में रुपया 54700/- ई स्टाम्प संख्या RD 0002013118 दिनांक 26.06.2023 व विभाजन शुल्क के रूप में रुपया 1000/- चालान संख्या FQ 13 दिनांक 26.06.2023 को दाखिल किया गया है।
- 5- चूंकि वादी द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क व न्याय शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा किया गया है।
- 6- इस उद्घोषणा में भूमि पर अकृषिक गतिविधियों विद्यमान होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की मांग नहीं करेगा इस सम्बन्ध में वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नहीं माना जायेगा। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना एवं मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।
- 9-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार हैं जिनका अनापत्ति विषयक शपथ पत्र संलग्न है। अतः ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खाता संख्या 00072 की गाटा संख्या 1123 रकबा 0.759हेठो मू0रा0 18.75 रुपया को कृषि से अलग कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार फतेहपुर द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है। तहसीलदार फतेहपुर की जांच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का रकबा 0.759हेठो गैरकृषिक घोषित किया जा सकता है। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक भूमि प्रस्तावित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी की खतौनी फ0 वर्ष 1429-1434 की खाता संख्या 00072 पर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र रामलखन निवासी 4/1068 बी विकासनगर लखनऊ व प्रबन्धक श्रीमती माया आनन्द चर्च मायावती देवी पत्नी बी0एल0 गुप्ता निवासी 8/340 विकासनगर लखनऊ द्वारा संचालित ट्रस्ट अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोशल फाउन्डेशन संक्षिप्त में ट्रस्ट फाउन्डेशन पंजीकृत कार्यालय 8/340 विकासनगर जनपद लखनऊ के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित भूमि गाटा संख्या 1123/0.759हेठो मू0रा0 18.75 रुपया को धारा-80(2) उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैर कृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आवेदकगणों को धारा 80(2) उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्या के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 की धारा-82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक फतेहपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचिव अभिलेखागार है।

दिनांक-

(578)

(डा0) साधन कुमार वर्मा
26/6/23
उपजिलाधिकारी
फतेहपुर-बाराबंकी

कार्यालय उप जिलाधिकारी
मारीख गुजरने दरघास्त नकल 30-6-23
मारीख नकल तैयारी 01-07-23
नादाद कोर्ट फॉर्म 3-7-23
नादाद शब्द 4608 (65 नमो मम)
दस्तावेज नकल नवीस
सामग्री देवे नकल 07-23

राज्य प्रतिनिधि
उपजिलाधिकारी
फतेहपुर, बाराबंकी